

SRPI-211-6L-11-94

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

in the court of.....

Case No. 04/10

शिवानी शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-मिर्जापुर

Class.....

Complaint or report made on.....

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

उमेश सिंह जो जमसिंह चौधरी  
रि। 0 गवालिम पंड व कका नगर वरि-8136

The offence complaint of its alleged commission.

आपने दिनांक 13-3-10 को समय 9.45 बजे स्थान बिरवा  
हवा के पास बिरवा के दुकान के पास पर बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के आप  
हवा के पास बिरवा के दुकान के पास के दुकान के पास को अपने आधिपत्य में  
जो योप्रो आबकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय  
संज्ञान में है। व आप को ठगने का उद्योग करने की कोशिश

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है माफ किया जाये।

अपराध स्वीकार है

उमेश सिंह

शिवानी शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-मिर्जापुर

The offence proved, if any and in case clause (d), clause (f), clause (g) or subsection (i) of section 260 the property in respect of which the offence has been committed.



(निर्णय)  
(आज दिनांक 16-5-10 को घोषित)

1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 279, 337, 32P अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी/गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया/किए हैं।
3. आरोपी/गण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गण के अपराध में सिद्ध धारा 279, 337 के अपराध में सिद्ध ठहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उठने तक की सजा एवं आरोपी/गण को 15000 + 5000 + 5000 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की द में 30 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।
4. प्रकरण में जल्दशुदा मुद्दे कम गरीब

निर्णय खुले न्यायालय में हरता 10 व दिनांकित कर घोषित किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला गिण्ड

शिवानी शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-गिण्ड

मेरे निर्देश पर टाईप कि

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम  
गोहद जिला गिण्ड

शिवानी शर्मा  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला-गिण्ड